न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—421/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/421)

1. पप्पू पुत्र नाथू जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. अलवर पुत्री सेखा
2. सद्दीक पुत्री सेखा
3. सकूर पुत्र पीरू
   समस्त जाति तेली मुसलमान, निवासी ग्राम भटियानी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
5. बैंक ऑफ बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नसीराबाद जरिए मैनेजर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.12.2022 राजस्व वाद संख्या 14/2021

उपस्थितः—

1. श्री हसन खान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री गौतम टांक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 05.07.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट द्वारा एक नियमित राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात में अपीलांट का 1/2 हिस्सा एंव रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 का 1/4—1/4 हिस्सा है रेस्पोडेंट संख्या 2 ने बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विभाजन उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 3 को बेचान कर दी है। इस प्रकार से उक्त आराजीयात परिवार की अविभाजित आराजीयात है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं हो रखा हैं तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 वादग्रस्त आराजीयात में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर रहे हैं तथा अपीलांट की उक्त आराजीयात को हड़पना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 10.2.2021 को दर्ज किया जाकर विवादित आराजीयात बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान जाकर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया गया। तत्पश्चात रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 3 की ओर से अभिभाषक द्वारा मय जवाब वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र बाबत दिनांक 21.12.2022 को सुनवाई की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 2 का किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार निहित नहीं था जबकि वास्तविकता यह है कि लाला के दो पुत्र नाथू व सेखा हुए थे तथा रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 सेखा की जायंदा पुत्रीयां है तथा विवादित आराजीयात बाबत जाति, समाज एवं पंचों के समक्ष 50/– रूपए के स्टाम्प पर दिनांक 17.4.1999 को रूबरू गवाहान के समक्ष तथा सभी घर, परिवार के सदस्यों एवं गांव के सभी लोगों एवं मौतबिरान के समक्ष एक लिखतम निष्पादित की। उक्त लिखतम में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के सहमति स्वरूप अंगूठा निशानी है जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजी बाबत सेखा की दोनो पुत्रियों के यदि कोई पुत्र होगा तो वह विवादित आराजी बाबत मालिक होगा अन्यथा अपीलांट की उक्त विवादित आराजीयात का मालिक रहेगा तथा अपीलांट द्वारा ही अपने सगे चाचा सेखा के सभी सामाजिक क्रियाकर्म तथा उनकी सेवा सुश्रुषा सब अपीलांट द्वारा ही की गई तथा उक्त लिखतम निष्पादित होने के बावजूद विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 द्वारा विवादित आराजीयात का स्वयं के नाम नामांतरकरण तस्दीक करवा दिया एवं उक्त लिखतम के विपरीत जाकर रेस्पोडेंट सख्या 2 द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 को अवैधानिक रूप से बेचान कर दी। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 21.12.2022 पारित किया है। विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा पंचों के समक्ष इस बात का दिनांक 17.4.1999 को इस बात की सहमति प्रकट कर दी थी कि विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 किसी प्रकार का बेचान नहीं करेगी एवं यदि उनके द्वारा किसी प्रकार से विवादित आराजीयात का बेचान किया जाता है तो उसमें अपीलांट

की सहमति होगी इसके बावजूद विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा विवादित आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 3 को बेचान कर दी। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 21.12.2022 पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट 1/2 हिस्से की आराजीयात का खातेदार काश्तकार हैं तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा दिनांक 17.4.1999 को निष्पादित लिखतम के विरूद्ध जाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 3 को अविधिक रूप से विक्रय कर दी जबकि विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के मध्य किसी प्रकार से बंटवारा नहीं हुआ तथा उक्त नुमाईशी/कागजी तौर पर किए गए विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में मदाखलत उत्पन्न कर रहा है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.12.2022 को निरस्त करने का आदेश प्रदान कर दिया जिससे उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के मध्य किसी भी प्रकार से बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नहीं हो रखा है इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का बिना न्यायिक बंटवारा कराए विवादित आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 3 को बिना कब्जे के बेचान कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 21.12.2022 द्वारा निरस्त किए जाने का गैर कानूनी आदेश कर दिया। उक्त आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 3 को विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की अविभाजित आराजीयात में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर रहे है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्टस को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किया जावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– आर0बी0जे0 (5) 1998 पेज 462, आर0बी0जे0 (3) 1996 पेज 180, आर0बी0जे0 (11) 2004 पेज 354, आर0बी0जे0 (11) 2004 पेज 206, आर0आर0टी0 2018, (सप)–19 पेज 497।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01से 03 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खाता संख्या 409/196 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2–1/2 हिस्सा निहित था जिसे अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विधि अनुसार अप्रार्थी संख्या 3 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थी का 1/2

हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 को 1/4–1/4 हिस्सा निहित था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 2 के मध्य जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 के मध्य आपसी मौखिक बंटवारा हो रखा था तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 अपने–अपने हिस्से पर कृषि कार्य करते चले आ रहे थे तथा अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा विधिनुसार अपने हिस्से का विक्रय अप्रार्थी संख्या 3 को विधिनुसार कर कब्जा संभला दिया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी की आराजीयात को किसी भी प्रकार से विधि अनुसार रहन, बेचान, मुंतकिल नहीं कर सकते तथा अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हक व हिस्से में प्राप्त आराजीयात का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है तथा मौके पर भी अप्रार्थी संख्या 2 की आराजीयात का अप्रार्थी संख्या 3 को कब्जा संभला दिया गया है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 विधि अनुसार के खातेदार/काश्तकार है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अपितु अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 में हक एवं अधिकार निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण भी अप्रार्थीगण में होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् प्रार्थी/अपीलांट वर्तमान में 1/2 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा शेष आराजीयात बाबत् अप्रार्थी संख्या 01से 03/रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 03 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात बाबत् अपने–अपने हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा एक सह–खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है जिससे भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र के माध्यंम से अप्रार्थीगण के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा प्रदत्त उपयोग एवं उपभोग के अधिकारों से वंचित रखना चाहता है जिस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.12.2022 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई रेस्पोडेंट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु अपील पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक तौर पर खारिज किए

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जाने हेतु प्रस्तुत किया है हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं उक्त अपील का अंतिम रूप से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। रेस्पोडेंट ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से हाजा न्यायालय के समक्ष मुख्यत इस बिंदु को उठाया की वादी द्वारा अपने अस्थाई निषेधाज्ञा के उक्त प्रार्थना पत्र में हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अंकित कथनों का अंकन नहीं किया है तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत प्लीडिंग के बाहर जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की है तथा लिखितम में अंकित बिंदुओं का निस्तारण करने बाबत सिविल न्यायालय को है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 अलवर पुत्री सेखा के एक पुत्र भी है इस प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील खारिज की जाए। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत पक्षकारो के मध्य समाज के मौतबिरानों/पंचगणों के समक्ष दिनांक 17.4.1999 को एक लिखितम निष्पादित की गई तथा उक्त लिखितक को अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके अस्थई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र बाबत अंतिम बहस के समय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत की जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 में ही किया गया है तथा अपीलांट द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय ऐसे तथ्य जो कि उनकी जानकारी में नहीं थे उनको जानकारी में होने के उपरांत ऐसे तथ्यों के साथ अपीलीय न्यायालयों में आधार बनाकर अपील प्रस्तुत कर सकते हो जिस बाबत अपीलांट अपील प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता तथा उक्त लिखितम एवं अन्य तथ्यों के अनुसार राजस्व वाद जो कि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है का निस्तारण किया जाना है तथा उक्त लिखितम का वादग्रस्त आराजयीात बाबत किस प्रकार से तथा क्या प्रभाव रहेगा तथा उक्त लिखितम बाबात विधिक अनवेषण कर तथा वादी एवं प्रतिवादीगण जवाब एवं साक्ष्य ग्रहण किए जाने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद का निस्तारण किया जाना है। इस प्रकार से रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत उक्त प्राथना पत्र प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का बैचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 1.2.2021 को किया जा चुका है तथा विवादित आराजीयात बाबत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बाबत वाद प्रस्तुत होने की दिनांक के पश्चात राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण तस्दीक किया गया है तथा न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित रखा जाए। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत हक एवं अधिकारों का निस्तारण अधीनसथ न्यायलय के समक्ष लंबित राजस्व वाद के माध्यम से निर्धारित होना शेष है। अतः न्यायहित में उक्त अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 14/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं रेस्पोडेन्टस को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मुन्तकिल नहीं करने एवं मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर